न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–31 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
जैसाराम पुत्र रताराम उम्र 67 वर्ष जाति सुथार निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. डायाराम पुत्र लालाराम वयस्क 2. तेजाराम पुत्र लालाराम वयस्क 3. सजनोदेवी पत्नि लालाराम वयस्क 4. जोगाराम पुत्र रताराम वयस्क 5. अन्तरोदेवी पुत्री लालाराम वयस्क 6. गीगीदेवी पुत्री लालाराम वयस्क 7. चुनीदेवी पुत्री लालाराम वयस्क जातियान सुथार निवासी भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा–

आदेश

24.04.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:17 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तहसील सिणधरी [illegible] बालोतरा के मौजा डेरपाना में खेत खसरा संख्या 199 रकबा 8.2356 हैक्टेयर व मौजा [illegible] डूडियों की ढाणी के खसरा संख्या 202 रकबा 1.8931 हैक्टयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र रताराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम जेताराम पुत्र रताराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर जेताराम पुत्र रताराम के स्थान पर जैसाराम पुत्र रताराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 8 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा डेरपाना में खेत खसरा संख्या 199 रकबा 8.2356 हैक्टेयर व मौजा कालुओणी डूडियों की ढाणी के खसरा संख्या 202 रकबा 1.8931 हैक्टयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र रताराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम जेताराम पुत्र रताराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर जेताराम पुत्र रताराम होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जैसाराम पुत्र रताराम ही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थीगण के पिता की वलदियत धर्माराम पुत्र किरताराम के स्थान पर धर्माराम पुत्र तिलाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा डेरपाना में खेत खसरा संख्या 199 रकबा 8.2356 हैक्टेयर व मौजा कालुओणी डूडियों की ढाणी के खसरा संख्या 202 रकबा 1.8931 हैक्टयर भूमि में अवस्थित प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र रताराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम जेताराम पुत्र रताराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। क्योकि प्रार्थी का यही नाम जैसाराम है। इससे साबित होता है कि प्रार्थी का नाम जेताराम न होकर जैसाराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, इस प्रकार प्रार्थी अपने आप को जेताराम के स्थान पर जैसाराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि का सही नाम जैसाराम है। पत्रावली के सलंग्न दसवेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात यथा–, बैंक पास बुक, परिवार राश कार्ड, महानरेगा जॉब कार्ड, सहकारी किसान कार्ड में प्रार्थी का नाम जैसाराम पुत्र रताराम अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम जेताराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम जैसाराम पुत्र रताराम है। जो जेताराम पुत्र रताराम के स्थान पर जैसाराम पुत्र रताराम दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा डेरपाना में खेत खसरा संख्या 199 रकबा 8.2356 हैक्टेयर व मौजा कालुओणी डूडियों की ढाणी के खसरा संख्या 202 रकबा 1.8931 हैक्टयर में **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थी का नाम जेताराम पुत्र रताराम के स्थान पर जैसाराम पुत्र रताराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 13:17:17 IST
Reason: SelfAttested